ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बारी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

<u>प्रधान :–</u>

1	श्रीमती नीतू	01.04.2022 से 31.03.2024

<u>सचिव :–.</u>

1	श्री कुलदीप चन्द	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बारी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	19.00
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.10

3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.07
4	8	ट्रांजिट पास फार्म W या X प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय भुगतान करना।	4.05
5	9	प्रियासॉफट तथा मैनुअल में संधारित लेखों का अन्तर पाया जाना ।	3.77

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही सन्तोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1	4.1 व 4.2	अनिर्णीत ।
2	5	अनिर्णीत ।
3	6	अनिर्णीत ।
4	7	अनिर्णीत ।
5	8	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022

क0 सं0		पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1		3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त ।

2		4	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
3		5	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
4		6	अनिर्णीत ।
5		7	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
6		7.2	अनिर्णीत ।
7		7.3	निर्णीत, पैरे में शामिल राशि की वसूली के समर्थन में प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया है ।
8		8	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
9		9	अनिर्णीत ।
10		10	अनिर्णीत ।
11		11	अनिर्णीत ।
12		12	अनिर्णीत ।
13		13	अनिर्णीत ।
14		14	अनिर्णीत ।
15		15	अनिर्णीत ।
16		16	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.09.2024 से 09.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय

में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्श	आय	व्यय
2022–2023	02 / 2023	09 / 2022
2023–2024	12 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800 / – बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 401 दिनांक 09.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत बारी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	831417.3	69389	38292	939098.3	190635	748463.3
2023–24	748463.3	92560.77	43319	884343.07	125359	758984.07

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत बारी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1642069.01	3947849	57157	5647075.01	3674221.93	1972853.08
2023–24	1972853.08	3175717	68913	5217483.08	3317516	1899967.08

टिप्पणी : अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चूक के कारण शीर्ष WDF **के खाता संख्या** 50057921070 **₹53637 को नहीं दिखाया गया था, जिसे वर्तमान अंकेक्षण में अनुदानों के आरम्भिक शेष में शामिल कर दिया गया है।**

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, PS,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,ICDS,SBM,RGSA,WDF,IWMP,NRHM,IWMPRF

A/c No. 50067217277	KCC Bhawarna	14th	200
A/c No. 50057921070	KCC Bhawarna	WDF	56845
A/c No. 093601000717	ICIC Palampur	15th	1367679.08
A/c No. 50067101103	KCC Bhawarna	SBM	0
A/c No. 50058851022	KCC Bhawarna	MPLAD	699
A/c No. 50057815029	KCC Bhawarna	ZP	240
A/c No. 50056874074	KCC Bhawarna	IAY	2990
A/c No. 20093004031	KCC Bhawarna	5th State, VKVNY, SDRF, Own source, NRHM	258958.19
A/c No. 88050100018719	HGB Bhawarna	own Source	61890.88
A/c No. 50064569935	KCC Bhawarna	IWMP RF	91684
A/c No. 100202165818	IndusInd Bank	Palampur	278773
FD	KCC Bhawarna		538991
cash in hand			1
		Total	**2658951.15**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		758984.07
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	10100
Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH FSC	24207
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	49105

Cash Book Balance on 31.03.2024	14th FC	200
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1367679.08
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	180
Cash Book Balance on 31.03.2024	ICDS	1094
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM	0
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	278773
Cash Book Balance on 31.03.2024	WDF	56845
Cash Book Balance on 31.03.2024	NRHM	20100
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP RF	91684
	Total	**2658951.15**
	diffrence	0

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 402 दिनांक 09.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलम–अलग बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित हैं ।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5TH SFC, VKVNY, SDRF, NRHM स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपराक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्व एक ही बैंक खाता संख्या 20093004031 के0सी0सी0बी0 खोला गया था तथा स्वः स्त्रोत हेतु एक अन्य बैंक खाता संख्या 88050100018719 हि0ग्रा0बैं0 भवारना में भी खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 403 दिनांक 09.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः स्वः स्त्रोत हेतु दो खाते खोलने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. निवेश :–

ग्राम पंचायत बारी द्वारा दिनांक 31.03.2024 को सावधि जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Sr. No.	Name of Bank	FDR No./ Account No.	Invested Amount	Date of investment	Maturity value	Date of Maturity	Rate of Interest	TDS
1	KCCB Bhawarna	419727	400000	12.03.19	428112	12.03.20	6.85%	

			428112	12.03.20	456176	12.03.21	6.40%	
			456176	12.03.21	480364	12.03.22	5.20%	
			480364	12.03.22	505335	12.03.23	5.10%	
			505335	12.03.23	538991	12.03.24	6.50%	
			538991	12.03.24	576588	12.03.25	6.80%	

अतः सावधि जमा राशि को परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹19.00 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹18,99,967/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षो के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को वस्तुस्थिति अनुसार एवं नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके

अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व ₹ 9700/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**गृहकर की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022–2023	29310	33740	63050	54850	8200
2023–2024	8200	34250	42450	32750	9700

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 404 दिनांक 09.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेगें तथा बकाया राशि ₹ 9,700/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **6,800/**– प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि**
1	2022–23	3800.00
2	2023–24	3000.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 405 दिनांक 09.10.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 0.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की वैध आपूर्ति के समर्थन में ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹4.05 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों / विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹ 4,05,569/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 406 दिनांक 09.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 06.11.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त नहीं किये गये है । अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्व किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹3.77 लाख की राशि के अन्तर बारे:–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 3,77,612.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया:–

31.03.2024 को प्रिया साफ़्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2281339.15
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2658951.15
अन्तर	₹	377612.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 408 दिनांक 09.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अन्तर बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–57 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण होने एवं कुशल क्रॉस मॉनिट्रिंग के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

12. **लघु आपित्त विवरणिका :–**

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

13. **निश्कर्श :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50 02 JAN 2025

35 - 39

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)68/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "BARI" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	10100	0	0	10100	0	10100
3	5 SFC	89063	238400	0	327463	294826	32637
4	VKVNY	22095	72000	0	94095	82990	11105
5	14TH FC	135454.77	7330	996	143780.77	143584.77	196
6	15TH FC	1206060.24	1550835	52163	2809058.24	1063304.16	1745754.08
7	SDRF	180	88551	0	88731	88551	180
8	ICDS	1094	0	0	1094	0	1094
9	SBM	17776	236000	0	253776	246233	7543
10	RGSA	0	0	0	0	0	0
11	WDF	53637	0	1530	55167	0	55167
12	NRHM	20100	0	0	20100	0	20100
13	IWMP RF	86509	0	2468	88977	0	88977
14	MNREGA	0	1754733	0	1754733	1754733	0
	Total Rs.	1642069.01	3947849	57157	5647075.01	3674221.93	1972853.08

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "BARI" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	10100	0	0	10100	0	10100
3	5 SFC	32637	304840	0	337477	313270	24207
4	VKVNY	11105	71000	0	82105	33000	49105
5	14TH FC	196	0	4	200	0	200
6	15TH FC	1745754.08	181655	45714	1973123.08	605444	1367679.08
7	SDRF	180	0	0	180	0	180
8	ICDS	1094	0	0	1094	0	1094
9	SBM	7543	94000	0	101543	101543	0
10	RGSA	0	501830	18810	520640	241867	278773
11	WDF	55167	0	1678	56845	0	56845
12	NRHM	20100	0	0	20100	0	20100
13	IWMP RF	88977	0	2707	91684	0	91684
14	MNREGA	0	2022392	0	2022392	2022392	0
	Total Rs.	1972853.08	3175717	68913	5217483.08	3317516	1899967.08

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, PS,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,ICDS,SBM,RGSA,WDF,IWMP,NRHM,IWMPRF

A/c No. 50067217277	KCC Bhawarna	14th	200
A/c No. 50057921070	KCC Bhawarna	WDF	56845
A/c No. 093601000717	ICIC Palampur	15th	1367679.08
A/c No. 50067101103	KCC Bhawarna	SBM	0
A/c No. 50058851022	KCC Bhawarna		699
A/c No. 50057815029	KCC Bhawarna		240
A/c No. 50056874074	KCC Bhawarna		2990
A/c No. 20093004031	KCC Bhawarna	5th State, VKVNY, SDRF, Own source, NRHM	258958.19
A/c No. 88050100018719	HGB Bhawarna	own Source	61890.88
A/c No. 50064569935	KCC Bhawarna	IWMP RF	91684
A/c No. 100202165818	Indusind Bank	Palampur	278773
FD	KCC Bhawarna		538991
cash in hand			1
		Total	**2658951.15**

15

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source) 758984.07
Cash Book Balance on 31.03.2024 ps 10100

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BARI

Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH FSC		24207
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		49105
Cash Book Balance on 31.03.2024	14th FC		200
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1367679.08
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF		180
Cash Book Balance on 31.03.2024	ICDS		1094
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM		0
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		278773
Cash Book Balance on 31.03.2024	WDF		56845
Cash Book Balance on 31.03.2022	NRHM		20100
Cash Book Balance on 31.03.2022	IWMP RF		91684
		Total	**2658951.15**
		diffrence	0

Nitin P. Kumar

16

Detail of FDR's Gram Panchyat Bari

Sr. No.	Name of Bank	FDR No./ Account No.	Invested Amount	Date of investment	Maturity value	Date of Maturity	Rate of Interest	TDS
1	KCCB Bhawarna	419727	400000	12.03.19	428112	12.03.20	6.85%	
			428112	12.03.20	456176	12.03.21	6.40%	
			456176	12.03.21	480364	12.03.22	5.20%	
			480364	12.03.22	505335	12.03.23	5.10%	
			505335	12.03.23	538991	12.03.24	6.50%	
			538991	12.03.24	576588	12.03.25	6.80%	

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BARI
DEV. BLOCK SULAH KANGRA, H.P.

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Bari
Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	29310	33740	63050	54850	8200
2023-24	8200	34250	42450	32750	9700
	Rate p/annum 50/-				

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT BARI
DEV. BLOCK ... KANGRA, H.P.

परिशिष्ट -3
([illegible])

15th FC/Sbm/MGNREGA material statement of FY 2022-23 GP Bari Dev Block Sullah

Sr no	Head	Name of Work	Name of Vendor	Bill no	Bill Date	Payment Date	Sand Cft	Aggrigate Cft	Brick nos	Amount
1	MGNREGA	निर्माण डंगा रक्षा देवी गाँव समाना	Param Vir Singh	106	01-08-2022	01-09-2022	138	120	-	12658
2	SBM	सामुदाइक शौचालय नियर महिला मंडल भवन बारी वार्ड 3	Manoj Traders	905	24-09-2022	21-09-2022	-	-	1500	13250
3	15th FC	शौचालय भीखाशाह	Param Vir Singh	136	06-09-2022	16-09-2022	70	70	-	7122
4	15th FC	निर्माण रास्ता इन्टरलोक टाइल पठानिया बस्ती	Param Vir Singh	135	06-09-2022	16-09-2022	180	180	-	18314
		Total								51344

MGNREGA Material Statement of FY 2023-24 GP Bari Dev Block Sullah

Sr No	Head	Name of Work	Name of Vendor	Bill No	Bill Date	Payment Date	Sand Cft	Aggrigate Cft	Gatka Cft /BlockNos	Amount
1	MGNREGA	निर्माण चौउ राजिंदर की जमीन से जल संग्रहण टैंक चंजेहड़ वार्ड 1	Param Vir Singh	175	02-01-2023	28-06-2023	180	360	-	24984
2	MGNREGA	निर्माण कुहल कृपाल कुहल से संजय गुलेरिया जमीन तक	Param Vir Singh	220	17-03-2023	21-06-2023	180	180	-	18314
3	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से रमेश चन्द के घर की ओर गाँव आरठ	Param Vir Singh	176	02-01-2023	28-06-2023	180	180	180	23256
4	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड बिहारी लाल के घर से महिंदर कुमार वार्ड 2	Param Vir Singh	180	02-01-2023	28-06-2023	450	450	-	43604
5	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड बिहारी लाल के घर से महिंदर कुमार वार्ड 2	Param Vir Singh	181	02-01-2023	28-06-2023	-	360	180	20898
6	MGNREGA	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से लालमन की बाबड़ी तक वार्ड 3	Param Vir Singh	130	12-09-2022	28-06-2023	180	180	-	17442
7	MGNREGA	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से लालमन की बाबड़ी तक वार्ड 3	Param Vir Singh	179	02-01-2023	28-06-2023	180	360	-	24984
8	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से कुलदीप सिंह व अन्य घरों की ओर बताहल व	Param Vir Singh	131	21-09-2022	28-06-2023	180	360	-	20000
9	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से कुलदीप सिंह व अन्य घरों की ओर बताहल व	Param Vir Singh	183	02-01-2023	28-06-2023	-	360	180	20898
10	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से कुलदीप सिंह व अन्य घरों की ओर बताहल व	Param Vir Singh	184	02-01-2023	28-06-2023	450	450	-	43604
11	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से दिलवर संदला व मुंशी बगैरा घरों की ओर स	Param Vir Singh	182	02-01-2023	28-06-2023	360	360	360	46512
12	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड गगन सिंह के घर से शेर सिंह के घर की ओर वार्ड 4	Param Vir Singh	221	17-03-2023	21-06-2023	180	180	-	17442
13	MGNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से विमला देवी घर की ओर वार्ड 7	Param Vir Singh	219	17-03-2023	21-06-2023	180	180	-	17442
14	MGNREGA	निर्माण जल- संग्रहण टैंक शेर सिंह वार्ड -4	Param Vir Singh	218	17-03-2023	28-06-2023	180	106	-	14845
		Total								354225

Checked

PANCHAYAT RAJ

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BARI
DEV BLOCK SULAH KANGRA, H.P.